

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 08/06/2026


## आवश्यक- सूचना

अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 847/5295097/2026/38-2 भोपाल दिनांक 08/06/2026 के परिपालन में महाविद्यालय के समस्त शिक्षको, कर्मचारियो तथा समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है समान नागरिक संहिता के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियो के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयो के संबंध में अध्ययन और परीक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई हैं जिसमें उक्त विषयो संबंधित जन परामर्श के सुझाव प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित वेबसाईट तैयार की गई है।

# ucc.mp.gov.in

इच्छुक जन उपरोक्त विषयो से संबंधित अपने सुझाव वेबसाईट के माध्यम से भेज सकते है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की छाया प्रति।

  
प्राचार्य  
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर  
इन्दौर म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

मांक 847 /5295097/2026/38-2

भोपाल, दिनांक 08/06/2026

प्रति,

- 1 आयुक्त,  
उच्च शिक्षा  
भोपाल ।
- 2 प्राचार्य  
समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।
- 3 रजिस्ट्रार  
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय  
मध्यप्रदेश ।

विषय- समान नागरिक संहिता के संबंध में अधीनस्थ शासकीय सेवकों को वेबसाईट पर सुझाव प्रेषित करने हेतु प्रोत्साहित करने बाबत ।

-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत सचिव, उच्च स्तरीय समिति, समान नागरिक संहिता से प्राप्त पत्र क्रमांक 130/यू.सी.सी./2026, दिनांक 01/06/2026 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है कि मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण, पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों के संबंध में अध्ययन और परीक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है । इस प्रयोजन हेतु जन-परामर्श के सुझाव प्राप्त करने के लिए वेबसाईट ucc.mp.gov.in तैयार की गई है ।

अतः समस्त शासकीय सेवकों को समान नागरिक संहिता के लिए तैयार की गई वेबसाईट पर परामर्श/सुझाव प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक 848 /5295097/2026/38-2

भोपाल, दिनांक 08/06/2026

प्रतिलिपि:-

निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च स्तरीय समिति, समान नागरिक संहिता, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर आपके क्रमांक 130/यू.सी.सी./2026, दिनांक 01/06/2026 में सूचनार्थ प्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

सभी को लिख  
नीचे लिख  
निर्देशित

9/6/26

प्रणवी प्राचार्य

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय  
इन्दौर म.प्र.

R=5295097/26/38-2

5-6-2026

लंबीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय : 'समान नागरिक संहिता' के संबंध में अधीनस्थ शासकीय सेवकों को वेबसाईट पर सुझाव प्रेषित करने हेतु प्रोत्साहित करने बावत्।

--000--

मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों के संबंध में अध्ययन और परीक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस प्रयोजन हेतु जन-परामर्श के सुझाव प्राप्त करने के लिए वेबसाईट ucc.mp.gov.in तैयार की गई है।

अतः आपके विभाग के समस्त शासकीय सेवकों को समान नागरिक संहिता के लिए तैयार की गई वेबसाईट पर अपने परामर्श/सुझाव प्रेषित करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिये विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध है। इस संबंध में विभाग की ओर से जारी किये जाने वाले पत्र का सुझावात्मक प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

आ.क्र. / 130 / यू.सी.सी. / 2026

दिनांक 01.06.2026

1785

अमुस/उ.शि.

01-06-2026

पत्र क्र.

दिनांक

समस्त अपर मुख्य सचिव/  
प्रमुख सचिव/सचिव

01 JUN 2026

OSD (R.K.Y.)

(अजय कटसरिया)

सचिव

उच्च स्तरीय समिति  
समान नागरिक संहिता

855/RK/1426  
02/6/26

45/50-2  
Raj/5/6/26

मध्यप्रदेश शासन  
-----विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक.....

भोपाल, दिनांक.....

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख  
मध्यप्रदेश।

विषय:- समान नागरिक संहिता के संबंध में अधीनस्थ शासकीय सेवकों को वेबसाईट पर नागरिकों के सुझाव प्रेषित करने हेतु प्रोत्साहित करने बावत्।

---00---

मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों के संबंध में अध्ययन और परीक्षण करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इस प्रयोजन हेतु जन-परामर्श के सुझाव प्राप्त करने के लिए वेबसाईट [ucc.mp.gov.in](http://ucc.mp.gov.in) तैयार की गई है।

अतः समस्त शासकीय सेवकों को समान नागरिक संहिता के लिए तैयार की गई वेबसाईट पर परामर्श/सुझाव प्रेषित करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
विभाग का नाम